न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 76/2022

जीसीएमएस नम्बर : 2022/176

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
मोटाराम पुत्र पन्नाराम जाति मेघवाल निवासी खटुकडा तहसील रानी जिला पाली		1. स्व. मोहन पुत्र भीकाजी जाति वादी के कायम मुकाम 1/1 मदन पुत्र मोहन जाति वादी निवासी चांचोडी तहसील रानी जिला पाली राजस्थान 2. ग्राम पंचायत नादाणा भाटाण पंचायत समिति रानी जिला पाली

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।
2. अप्रार्थी संख्या 1/1 की ओर से अधिवक्ता श्री दौलत मकवाणा।

–: निर्णय :–

दिनांक : 06/05/2025

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 के तहत ग्राम पंचायत नादाणा भाटान द्वारा जारी पट्टा संख्या 13946 दिनांक 30.11.1975 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया, जिसके संबंध में ग्राम पंचायत से रेकर्ड उपलब्ध नहीं होने का पत्र प्राप्त। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस कथन किया कि प्रार्थी का एक कब्जा सुदा भूखण्ड ग्राम खटुकडा में आया हुआ है, जिसके पूर्व दिशा में भगाराम पुत्र देवाजी व भंवरसिंह पुत्र राजुसिंह राणावत व नेनु पत्नी खुमाराम मेघवाल का मकान, पश्चिम दिशा में सरकारी पडत, उत्तर दिशा में रोड व दरवाजा एवं दक्षिण दिशा में आम रास्ता आया हुआ है। उक्त भूखण्ड 30 बाई 45 फिट अर्थात् 1350 वर्गफीट का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में जारी हो रखा है, जिसके पट्टा संख्या 275 दिनांक 02.05.1994 है, जिस पर वर्तमान में अप्रार्थी का कब्जा है। प्रार्थी के पिता का जैर निगरानी भूखण्ड पर पुश्तैनी आवास है। पडौसी भवरसिंह व नेनु के पट्टों में भी प्रार्थी का निवासी दर्शाया गया है। जैर निगरानी पट्टे पर भीका पुत्र मोहन का अगुंठा लगा हुआ है और उसमें खसरा संख्या 260, प्लॉट संख्या 216 अंकित है जबकि खसरा संख्या 260 की किस्म गै.मु. गोचर है। उक्त पट्टे को जारी करते समय पंचायत में किसी भी प्रक्रिया की पालना नहीं की गई। इसके अतिरिक्त अप्रार्थी ग्राम खटुकडा का निवासी नहीं होकर ग्राम चांचोडी का निवासी हैं। जैर निगरानी भूखण्ड के सम्बन्ध में एक फौजदारी मुकदमा भी विचाराधीन है। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा विधिविरूद्ध तरीके से जारी जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 ने दौराने बहस कथन किया कि जिस भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी के पक्ष में बना हुआ है उसी भूखण्ड का पट्टा अप्रार्थी के पक्ष में जारी किया गया है, तो अप्रार्थी का पट्टा गोचर में कैसे हुआ। प्रार्थी ने अपनी निगरानी में यह स्वीकार किया कि उनकी पट्टा सुदा भूमि पर अप्रार्थी के द्वारा निर्माण कार्य किया गया अर्थात् जिस पर निर्माण किया गया वह या तो प्रार्थी की होगी या अप्रार्थी। उक्त भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृति के सम्बन्ध में मोटाराम का नाम काटकर मदनलाल अंकित किया गया। मौके पर मेरा मकान है, मेरा कब्जा है। मेरे समस्त दस्तोवज यथा टी.सी, विद्युत बिल, मूल निवासी आदि में मेरा पता खटुकडा अंकित है। पट्टे में अंकित खसरा संख्या 260 पडौस के है और प्रार्थी का उक्त भूखण्ड पर पश्चातवर्ती पट्टा है। ग्राम पंचायत द्वारा नियम 267 के तहत अनुसूचित जाति व जनजाति के व्यक्तियों को निःशुल्क पट्टा जारी किया गया, जिसकी कोई मिसल कायम नहीं होती है। इसलिये प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत नादाणा भाटान द्वारा जारी पट्टा संख्या 13946 दिनांक 30.11.1975 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थी ने दौराने बहस यह कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा खसरा संख्या 260 किस्म गै.मु.गोचर में स्थित है जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी ने उक्त कथनों का खण्डन करते हुये उज्र किया कि जैर निगरानी पट्टे के नक्शे के जिस प्रकार पूर्व दिशा में प्लॉट संख्या 17 अंकित है उसी तरह उत्तर दिशा में खसरा संख्या 260 एवं प्लॉट नम्बर 16 अंकित है। जैर निगरानी पट्टे की प्रति के अवलोकन से भी प्रथमदृष्टया यहीं जाहिर होता है कि जैर निगरानी पट्टा के उत्तर दिशा में खसरा संख्या 260 की भूमि स्थित है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसे कोई दस्तावेज पेश नहीं किये जो यह ताइद करता हो कि उक्त पट्टा खसरा संख्या 260 में स्थित हो, इसलिये अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन साबित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है। साथ ही अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि अप्रार्थी ग्राम खटूकडा का निवासी न होकर ग्राम चांचोडी का निवासी है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने इन कथनों का विरोध करते हुये उज्र किया कि अप्रार्थी ग्राम खटूकडा का ही निवासी है जिसके सम्बन्ध में उन्होनें दस्तावेज पेश किये। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा वोटर कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड एवं रोजगार कार्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 1/1 ग्राम चाचोडी का निवासी है परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1/1 द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा टी.सी., जोधपुर विद्युत वितरण निगर लिमिटेड की रसीद एवं ग्राम खटुकडा की जमाबन्दी के अनुसार अप्रार्थी ग्राम खटुकडा का निवासी है परन्तु हस्तगत प्रकरण में जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 1/1 के पिता मोहन के पक्ष में जारी किया गया है और पट्टाधारक किसी अन्य स्थान का निवासी हो, ऐसे दस्तावेज/साक्ष्य अधिवक्ता प्रार्थी ने पेश नहीं किये, जो उनके कथनों को बल दे सके। अतः अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन स्वीकार योग्य नहीं है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थी का दौराने बहस अन्य उज्र यह भी था कि जैर निगरानी आराजी का प्रार्थी के पक्ष में दिनांक 02.05.1991 को पट्टा जारी हो

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

चुका है एवं वर्तमान में मौके पर उनका ही कब्जा है। अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा भंवरसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 20 दिनांक 06.11.09 की प्रति पेश की जिसके पश्चिम दिशा में पडौस मोटाराम पुत्र पन्नाराम अंकित है। इसी तरह नेनू पत्नी खूमाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 569 दिनांक 8.07.99 के पश्चिम दिशा में पडौस मोआराम पुत्र पनाजी अंकित है। अधिवक्ता अप्रार्थी ने प्रार्थी अधिवक्ता के उक्त कथन का विरोध करते हुये उज्र किया कि जैर निगरानी भूखण्ड का अप्रार्थी का कब्जा है और वह वर्तमान में मकान बनाकर निवासरत है तथा उक्त भूखण्ड का पूर्व में अप्रार्थी को पट्टा जारी किया गया था एवं प्रार्थी का पट्टा पश्चातवर्ती है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत नादाणा भाटान द्वारा भंवरसिंह एवं नेनू के पक्ष में जारी पट्टे की प्रतिलिपी का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि मोटा पुत्र पन्नाजी को जारी पट्टे के पूर्व दिशा में भगाराम पुत्र देवाजी अंकित है एवं नेनू पत्नी खूमाराम को जारी पट्टा संख्या 569 के पूर्व दिशा में भगाजी पुत्र देवाजी एवं पश्चिम दिशा में मोटाराम पुत्र पन्नाजी अंकित है। अर्थात् मोटा पुत्र पन्नाजी एवं नेनू पत्नी खूमाराम को जारी पट्टे के पूर्व दिशा में पडौस भगाराम पुत्र देवाजी अंकित है तो मोटा एवं नेनू का भूखण्ड एक दूसरे के उपर नीचे यानि उत्तर अथवा दक्षिण दिशा में स्थित होना चाहिये परन्तु नेनू पत्नी खूमाराम को जारी पट्टे के पश्चिम दिशा में मोटाराम पुत्र पन्नाजी अंकित है, जो कि धरातल स्तर पर प्रमाणित किया जाना सम्भव नहीं है। साथ ही ग्राम पंचायत द्वारा भंवरसिंह के पक्ष में जारी अन्य पट्टे के पश्चिम दिशा में मोटाराम पुत्र पन्नाराम अंकित है लेकिन भंवरसिंह को विद्युत कनेक्शन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र में पश्चिम दिशा में मोटाराम का नाम काटकर मदनलाल पुत्र मोहनलाल अंकित है, जिसकी दुरूस्ती बाबत् विकास अधिकारी के हस्ताक्षर भी है, जिससे भंवरसिंह के उपरोक्त दोनो दस्तावेज विरोधाभाषी प्रतीत होते है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी के कथन, उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं होते हे। साथ ही अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं फोटोग्राफ्स के तुलनात्मक अध्ययन से यह जाहिर होता है कि मौके पर अप्रार्थी का मकान बना हुआ है और वर्तमान में वह उसमें निवासरत है। अतः अधिवक्ता प्रार्थी का उक्त कथन प्रमाणित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

अधिवक्ता प्रार्थी का यह मुख्य उज्र यह भी था कि जैर निगरानी पट्टे की न तो मिसल कायम की गई और न ही आपत्ति ईशतिहार जारी किया गया अर्थात् पंचायती राज नियमों की पालना नहीं की गई। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने उपरोक्त कथन का खण्डन करते हुये उज्र किया कि अप्रार्थी के पिता को जैर निगरानी पट्टा अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन के तहत जारी किया गया है, जिसमें पंचायती राज नियमों की पालना की आवश्यकता नहीं होती है। जैर निगरानी पट्टे की प्रति के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता मोहन पुत्र भीकाजी के पक्ष में अनुसूचित जाति व जन जाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषक को आबादी भूमि में से निःशुल्क आवासीय भूखण्ड आंवटन के तहत दिनांक 30.11.1975 को जारी किया गया है। इस सम्बन्ध में राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन व्यक्तियों, ग्राम कारीगरों एवं लघु एवं सीमांत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

कृषकों को आवासी आवास स्थल हेतु आबादी भूमि का विशेष आवंटन नियम, 1975 के अनुसार "आवंटन प्राधिकारी पात्र व्यक्तियों की पहचान करेगा, आवेदन प्राप्त करेगा और आवश्यक जांच के पश्चात् मजमा–आम में आवंटन आदेश पारित करेगा। इन नियमों के तहत 150 वर्ग गज का प्लॉट निःशुल्क आंवटित किया जाएगा तथा राजस्थान पंचायत एवं नई पंचायत (सामान्य) नियम, 1961 में किसी बात के होते हुए भी, इन नियमों के प्रावधान भूमिहीन अनुसूचित जातियों/जनजातियों, ग्रामीण कारीगरों और सीमांत कृषकों को आवासीय आवास स्थल हेतु भूमि आवंटन के लिए लागू होगें।" जिससे यह सुस्पष्ट है कि उपरोक्त प्रकृति के आवंटन में पंचायती राज नियमों के प्रावधानों मे छूट दी गयी है और ग्राम पंचायत ने उसी अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया है जो प्रथमदृष्टया विधिनुसार प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध में अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 2002(2) DNJ (Raj.) 668 Vimla (Smt.) vs Additional Collector, Churu & Ors. के अनुसार भारत का संविधान, 1950– अनुच्छेद 226–विस्तार–भूमि का आंवटन–प्रार्थीयों ने अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान को अभिखण्डित करने के आदेश को चुनौती दी– प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान पंचायत द्वारा भूमि के लिये बिना कोई धनराशि वसूल किया गया–पंचायत के शिक्षा प्रसार अधिकारी जिसने वह आवंटन किया उसे विधि द्वारा उक्त आवंटन का कोई अधिकार नहीं था–ग्राम पंचायत द्वारा आवंटन हेतु कोई अभिलेख तैयार नहीं किया गया–प्रार्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, ग्रामीण शिल्पी, छोटे किसानो की श्रेणी में नहीं आते– निर्णित, उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत अपनी अधिकारिता में अतिरिक्त जिलाधीश द्वारा प्रार्थियों के पक्ष में अनुदान को अभिखडित करने के आदेश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता जो कि प्रकरण में अधिवक्ता अप्रार्थी के कथनों को बल देता है। समग्रतः सम्पूर्ण विवेचन से यह सुस्पष्ट है कि अप्रार्थी के पिता के पक्ष में ग्राम पंचायत द्वारा राजस्थान पंचायत एवं न्याय पंचायत (सामान्य) अनुसूचित जातियां एवं अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन व्यक्तियों, ग्राम कारीगरों एवं लघु एवं सीमांत कृषकों को आवासी आवास स्थल हेतु आबादी भूमि का विशेष आवंटन नियम, 1975 के अनुरूप जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया, जो विधिनुसार प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में हस्तगत पट्टे को खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत नादाणा भाटान द्वारा जारी पट्टा संख्या 13946 दिनांक 30.11.1975 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि सम्बन्धित को पालनार्थ भिजवायी जावे।

निर्णय आज दिनांक 06/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)